राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–987/2014/उदयपुर
अपील संख्या–988/2014/उदयपुर
अपील संख्या–989/2014/उदयपुर
अपील संख्या–990/2014/उदयपुर
अपील संख्या–991/2014/उदयपुर

मै. सुप्रीम टायर रिट्रेडर्स, जी 462 रोड नं. 12,
मेवाड इण्डस्ट्रीयल एरिया, उदयपुर। ...अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) उदयपुर
   वाणिज्यिक कर, उदयपुर।
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
   वार्ड–षष्ठम, वृत्त–बी, उदयपुर। ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.पी.शर्मा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.03.2018

निर्णय

1. ये पाँचों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 140, 141, 142, 143, 144/वेट/2013–14/उदयपुर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 03.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–षष्ठम, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण संयुक्त आदेश दिनांक 24.05.2013 द्वारा कायम किये गये निम्नांकित कर, ब्याज व शास्ति को विवादित किया गया है।

क्र. सं.	अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	विवादित मांग राशि का विवरण			
				कर	ब्याज	शास्ति	कुल मांग
1	140/वेट/13–14/उदयपुर	2001–02	24.05.13	2,19,872	1,479	0	2,21,351
2	141/वेट/13–14/उदयपुर	2002–03	24.05.13	2,70,487	1,677	0	2,72,164
3	142/वेट/13–14/उदयपुर	2003–04	24.05.13	2,43,450	2,260	450	2,46,160
4	143/वेट/13–14/उदयपुर	2004–05	24.05.13	2,32,177	327	550	2,33,054
5	144/वेट/13–14/उदयपुर	2005–06	24.05.13	2,08,186	1,408	360	2,09,954

2. उपर्युक्त पाँचों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इन पाँचों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

लगातार.....2

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि व्यवसायी टायर रि–ट्रेडिंग का कार्य करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 16.02.04, 15.01.05, 07.01.06, 15.01.07 एवं 10.01.08 को पारित किये गये थे, उक्त आदेशों के विरूद्व, व्यवसायी द्वारा वेट एक्ट 2003 की धारा 53 सपठित वेट नियम 2006 के नियम 27 के तहत अधिक जमा कराई गई वेट राशि को रिफण्ड करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे जिनका निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 24.05.2013 को करते हुये प्रस्तुत रिफण्ड प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया जिनके विरूद्व व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन संयुक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देकर जांच कर पुनः नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये जिनके विरूद्ध व्यवसायी अपीलार्थी द्वारा ये पाँचों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी टॉयर रिट्रेडिंग का कार्य करता है जिस पर राज्य के बाहर से आयातित माल पर कोई कर दायित्व नहीं बनता है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को बिना सुने रिफण्ड प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के बिन्दु पर रिमाण्ड किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अपीलीय अधिकारी को गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। फिर भी रिमाण्ड प्रकरण में पुनः निर्णय दिनांक 27.04.2016 पारित हो गया है तथा पुनः रिफण्ड प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई के बिना कोई विवेचना व विश्लेषण खारिज कर दिया गया है। इन्होंने सुनवाई के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलों का प्रतिरोध करते हुए कथन किया कि रिमाण्ड आदेशों की पालना में पुनः निर्णय दिनांक 27.04.2016 पारित हो गया है जिससे अपीलें प्रभावशून्य हो गई है। इन्होंने अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरणों से संबंधित व्यवसायी टायर रि–ट्रेडिंग का कार्य करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2001–02 से 2005–06 तक के कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 16.02.04, 15.01.05, 07.01.06, 15.01.07 एवं 10.01.08 को पारित किये गये थे, उक्त आदेशों के विरूद्ध, व्यवसायी द्वारा वेट एक्ट 2003 की धारा 53 सपठित वेट नियम 2006 के नियम 27 के तहत अधिक जमा कराई गई वेट राशि को रिफण्ड

लगातार.....3

करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे जिनका निस्तारण कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 24.05.2013 को करते हुये प्रस्तुत रिफण्ड प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया गया जिनके विरूद्व व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन संयुक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देकर जांच कर पुनः नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये। रिमाण्ड आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2016 द्वारा पुनः एकपक्षीय कार्यवाही करने हुए रिफण्ड प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। आदेश दिनांक 24.05.2013 व रिमाण्ड आदेशों की पालना में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 में अपीलार्थी के रिफण्ड प्रार्थना पत्रो को अस्वीकार किये जाने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है जिससे निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड हैं। कर निर्धारण अधिकारी का यह दायित्व था कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में विधिक एवं तथ्यात्मक विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करते तथा यह स्पष्ट करते कि व्यवसायी के प्रार्थना पत्र अस्वीकार क्यों किये जा रहे है। अपीलीय अधिकारी ने हॉलाकि प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.05.2013 के नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश होने के बाबत् कोई कथन नहीं किया है व न ही इस त्रुटि को सुधारने हेतु निर्देश दिया है। अतः इस दृष्टिकोण से कर निर्धारण अधिकारी को स्पीकिंग निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य हैं।

9. विचाराधीन प्रकरणों में जहॉ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गुण दोष पर निर्णय किया जाना चाहिए, इस संबंध में इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार प्रकरण के तथ्यों एवं व्यवसायी द्वारा आयातित माल पर कर दायित्व के संबंध में यह जांच आवश्यक है कि व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत लेखों के अनुसार कौनसा सामान कितनी मात्रा में आयातित किया गया है व उस पर कर देयता कितनी बनती है, इसका निर्धारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच व अपीलार्थी व्यवसायी को सुनकर ही किया जाना अधिक व्यवहारिक एवं विधिसम्मत है तथा कर निर्धारण अधिकारी स्तर पर प्रकरण निस्तारित होने से व्यवसायी का अपीलीय अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपीलें आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए विवेचना एवं विश्लेषण सहित नियमानुसार एवं विधिसम्मत स्पीकिंग निर्णय पुनः पारित करें। अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 23.04.2018 को उपस्थित हो।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य